ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN NO.: 2347-2944, RNI : UPBIL04292,REG. No.: 561/2013-2014Vol.-1,No.-1 **PP-299-301**,YEAR-2013

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (एनएफएसए) 2013

☐ डॉ0 इन्द्र प्रताप सिंह

सारांश *– वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा की मूल अवधारणा यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को, हर समय, उनके सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए बुनियादी भोजन तक पहुँच मिलनी चाहिए और इसकी विशेषता भोजन की उपलब्धता, पहुँच, उपयोग और स्थिरता है। हालाँकि भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के मौलिक अधिकार की व्याख्या मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को मौलिक अधिकार की व्याख्या मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए की जा सकती है, जिसमें भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं का अधिकार शामिल हो सकता है।*

सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लंबे समय से घरों में 'खाद्य सुरक्षा' के मुद्दे को लगातार संबोधित किया जा रहा है, लेकिन 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (NFSA) 2013 का अधिनियमन खाद्य सुरक्षा के प्रति कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर एक आदर्श बदलाव को दर्शाता है। यह अधिनियम कानूनी तौर पर ग्रामीण आबादी के 75: और शहरी आबादी के 50: को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस प्रकार लगभग दो तिहाई आबादी अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत आती है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में, अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार की मुखिया होना अनिवार्य है।

यह अधिनियम सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है, तथा अखिल भारतीय स्तर पर, 81.34 करोड़ व्यक्तियों की अधिकतम कवरेज में से, लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को वर्तमान में अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एनएफएसए के अंतर्गत कवर किया गया है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा लाभार्थियों की पहचान एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें अपात्र/नकली/डुप्लिकेट राशन कार्डों को बाहर करना तथा मृत्यु, प्रवास आदि के कारण बाहर किए गए लोगों को बाहर करना और जन्म के आधार पर तथा वास्तविक छूटे हुए परिवारों को शामिल करना शामिल है। अधिनियम के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक इसका जीवन–चक्र दृष्टिकोण है, जिसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे उन्हें एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त पौष्टिक भोजन प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, जिन्हें प्ब्वै योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र कहा जाता है और साथ ही मिड–डे मील (MDM) योजना के तहत स्कूलों के माध्यम से भी। 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था की अवधि के दौरान मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई और पोषण को पूरक करने के लिए कम से कम 6,000 रुपये का नकद मातृत्व लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।

एनएफएसए के तहत पात्र व्यक्तियों को

एसो० प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष– पशुपालन और डेयरी विभाग, श्री मुरली मनोहर टाउन पी० जी० कालेज, बलिया (उ०प्र०) भारत।

खाद्यान्न या भोजन की उचित मात्रा की आपूर्ति न होने की स्थिति में, ऐसे व्यक्ति संबंधित राज्य सरकार से ऐसे खाद्य सुरक्षा भत्ते को प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसका भुगतान प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय और तरीके से किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

एनएफएसए के तहत जिम्मेदारियां – एनएफएसए केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी को परिभाषित करता है। जबकि केंद्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक खाद्यान्न का आवंटन, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्न का परिवहन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्दिष्ट एफसीआई गोदामों से एफपीएस के दरवाजे तक खाद्यान्न की डिलीवरी के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से पात्र परिवारों को खाद्यान्न का वितरण, उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को लाइसेंस जारी करना और उनकी निगरानी करना, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को आवश्यक रूप से मजबूत करना शामिल है।

एनएफएसए के तहत कवरेज और पात्रता – एनएफएसए अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों के तहत ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक को कवर करता है। जबकि एएवाई परिवार, जो गरीबों में भी सबसे गरीब हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न के हकदार हैं, प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम के हकदार हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की अखिल भारतीय कवरेज के अनुरूप, एनएफएसए के तहत राज्यवार कवरेज पूर्ववर्ती योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा 2011–12 के एनएसएस घरेलू उपभोग सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करके निर्धारित किया गया था। प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित टीपीडीएस के तहत कवरेज के भीतर, पात्र परिवारों की पहचान का काम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना है। अधिनियम की धारा 10 में यह प्रावधान है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवरेज के लिए निर्धारित व्यक्तियों की संख्या के अंतर्गत, राज्य सरकार उक्त योजना के लिए लागू दिशा – निर्देशों के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत परिवारों की पहचान करेगी तथा शेष परिवारों को प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में चिह्नित करेगी, जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवर किया जाएगा, ऐसे दिशा–निर्देशों के अनुसार, जिन्हें राज्य सरकार निर्दिष्ट करेगी।

एनएफएसए के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य – एनएफएसए के तहत खाद्यान्न अधिनियम के लागू होने की तिथि (13 जुलाई, 2013) से तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए क्रमशः 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाना था। इसके बाद, केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर कीमतें तय की जानी थीं, लेकिन एमएसपी से अधिक नहीं। सरकार ने समय–समय पर एनएफएसए के तहत उपर्युक्त रियायती कीमतों को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

आवंटन पर ज्वार – अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि एनएफएसए के तहत किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का आवंटन उनके वर्तमान आवंटन से कम है, तो उसे 2010–11 से 2012–13 के दौरान पूर्ववर्ती सामान्य टीपीडीएस के तहत औसत उठाव के स्तर तक संरक्षित किया जाएगा, जिसका मूल्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पूर्ववर्ती टीपीडीएस के तहत एपीएल परिवारों के लिए मूल्य अर्थात गेहूं और चावल के

लिए ओवर के तहत अतिरिक्त आवंटन के लिए निर्गम मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) में खाद्य अधिकारों के प्रावधान के लिए नकद हस्तांतरण जैसी योजनाओं सहित टीपीडीएस में सुधार का प्रावधान है।

डीबीटी प्रयोग का उद्देश्य

I. खाद्यान्नों की भारी भौतिक आवाजाही की आवश्यकता को कम करना
II. लाभार्थियों को अपनी खपत टोकरी चुनने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करना
III. आहार विविधता को बढ़ाना
IV. रिसाव को कम करना
V. बेहतर लक्ष्यीकरण को सुविधाजनक बनाना
VI. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

खाद्यान्न में प्रत्यक्ष नकद अंतरण की शुरुआत शासित प्रदेशों में एनएफएसए को नकद अंतरण मोड में क्रियान्वित किया गया, जिसके अंतर्गत सब्सिडी के समतुल्य नकद राशि पात्र परिवारों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जा रही है, ताकि वे खुले बाजार से खाद्यान्न खरीद सकें। यह योजना राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए वैकल्पिक है तथा यह राज्य या संघ शासित प्रदेश में षचिह्नित क्षेत्रोंष में या राज्य या संघ शासित प्रदेश के भीतर किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में संचालित होती है, जिसके लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार की लिखित सहमति है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की प्रचलित प्रणाली योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए शेष क्षेत्रों में जारी रह सकती है।

सरकारों के परामर्श से और अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 40 में प्रावधान है कि राज्य सरकारें अधिसूचना द्वारा तथा अधिनियम और केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप, इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेंगी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. "National Food Security Act, 2013: A Commentary".
2. "Food Security and the National Food Security Act, 2013".
3. "The National Food Security Act, 2013: An Analysis".
4. "Food Security Law in India: The National Food Security Act, 2013".
1. "Implementing the National Food Security Act, 2013: Challenges and Opportunities".